(का.) 07692 - 220444
(नि.) 07692 - 220301
(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/2235/वित्त–1/2020 सिवनी दिनांक 30 मार्च, 2020

कार्यालयीन आदेश कमांक/2006/वित्त–1/2020 सिवनी, दिनांक 16 मार्च, 2020 के माध्यम से म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र 36/प्र.स./स्वा./सत्रह/मेडि–तीन भोपाल दिनां 15.03.2020 के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस महामारी (Pandemic) घोषित किये जाने के फलस्वरूप जिले के पदस्थ समस्त शासकीय सेवकों के पूर्व में स्वीकृत अवकाश निरस्त किये जाकर कलेक्टर की अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करने के आदेश जारी किये गये थे एवं कार्यालयीन आदेश कमांक/2171/वित्त–1/2020 सिवनी, दिनांक 22 मार्च, 2020 के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक/2157/वित्त–1/2020 सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2020 को अधिकमित करते हुए जिले के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को निवास से कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है ।

जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान जाकर मुख्यालय में ही कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

कतिपय मामलों में यह पाया जा रहा है कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय में निवास न कर प्रतिदिन आना–जाना कर रहे है। नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत यह स्थिति उचित नहीं है ।

अतः जिले के समस्त शासकीय सेवकों को निर्देशित किया जाता है कि वे शासकीय सेवक अपने मुख्यालय में निवास कर शासकीय कार्यों का सम्पादन करें ।

उक्त निर्देशों के उपरान्त भी यह पाया जाता है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने मुख्यालय में न रहकर अन्य स्थानों से आवागमन कर रहे हैं तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियमों एवं आदेश का उल्लंघन मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत दण्ड का भागीदार माना जाएगा ।

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों के तहत जिले में लाक डाउन/कर्फ्यू आदेश जारी किये गये हैं। इसके उपरांत भी यदि कोई शासकीय सेवक आवागमन करता पाया जाता है तो नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण फैलाने का दोषी माना जाकर उसके विरूद्ध पुलिस में FIR दर्ज करायी जाने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित शासकीय सेवक का होगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
सिवनी

पृ.क्र./22354/वित्त–1/2020 सिवनी,दिनॉक 30 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

1– कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2– अपर कलेक्टर सिवनी

3– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी

4– प्रभारी अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर कलेक्ट्रेट सिवनी ।

5– समस्त कार्यालय प्रमुख ....जिला सिवनी

6– अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, ...जिला सिवनी

7– तहसीलदार/नायब तहसीलदार ....जिला सिवनी

8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....जिला सिवनी

9– सहायक संचालक जन संपर्क सिवनी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

10– सर्व संबंधित ....जिला सिवनी ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला–सिवनी